आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

29.7.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

बटाईदारी अपील वाद सं0 – 10/2007–08

श्री ताराचंद साह व वीरेन्द्र साह एवं धिरेन्द्र साह, सभी पिता–स्व0 रूपलाल साह, ग्राम–भोड़हर, पो0–भोड़हर हाट, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया – अपीलार्थी

बनाम

बैद्यनाथ बहरदार व सूरज बरहदार, पिता–स्व0 रामी बहरदार, सा0–डुमरियाँ, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया – विपक्षीगण

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक श्री ताराचंद साह एवं अन्य 2, पिता–स्व0 रूपलाल साह, ग्राम–भोड़हर, पो0–भोड़हर हाट, थाना–नरपतगंज, जिला–अररिया की ओर से वाद सं0 120/1997–98 अंदर धारा 48 ई0बी0टी0 एक्ट में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 15.6.2005 के विरूद्ध समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 12.7.2007 को दाखिल किया गया। समाहर्त्ता, अररिया द्वारा इसे दिनांक 26.9.2007 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया एवं विपक्षीगणों को सूचना निर्गत की गई। विपक्षीगणों की ओर से उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। तत्पश्चात् समाहर्त्ता, अररिया द्वारा इसे विधिवत निष्पादन हेतु दिनांक 11.8.2015 के आदेश के द्वारा इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया, जो उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1197/वि0, दिनांक 25.8.2015 द्वारा हस्तांतरित होकर न्यायालय को प्राप्त हुआ।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
डुमरिया अंचल–नरपतगंज	260	1787	0.65 ए0
	270	1207	1.52 ए0
		1798	0.19 ए0
		1799	0.55 ए0
			कुल 2.91 ए0

विपक्षी की ओर से लिखित बहस दिनांक 03.02.2015 को दाखिल किया गया। तत्पश्चात उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि कमल बहरदार जो विपक्षी सं0

1 एवं 2 के भाई है, के द्वारा बटाईदारी वाद सं0 120/1997–98 दफा 48ई0 बी0टी0 एक्ट के तहत विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में यह कहते हुए दाखिल किया गया कि वे अपीलार्थी के वादग्रस्त भूमि को 15 वर्षों से आधी बटाई पर जोत–आवाद करते आ रहें है। वाद के दौरान ही कमल बहरदार की मृत्यु के पश्चात् विपक्षी वैद्यनाथ बहरदार एवं सूरज बरहदार कमल बहरदार के स्थान पर पक्षकार प्रतिस्थापन हुए। जिसकी जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी और न ही न्यायालय द्वारा उन्हें सूचना दी गई। विपक्षीगणों द्वारा एक पक्षीय आदेश दिनांक 15.6.2005 को प्राप्त कर लिया गया है, जो बटाईदारी वाद के नियम के विरूद्ध है। इस प्रकार पारित आदेश एक पक्षीय है और न्यायसंगत नहीं है। न्यायहित में अपीलार्थी को न तो सूचना दी और न ही उन्हें जानकारी प्राप्त हुई। निम्न न्यायालय द्वारा समझौता बोर्ड का गठन किया गया। किन्तु बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त किये बिना उसे वापस ले लिया गया जो बटाईदारी अधिनियम की उपधारा (7) एवं (8) के विरूद्ध है।

इनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश मुखर आदेश नहीं है। गवाहों का बयान और प्रतिपरिक्षण दूसरे वाद सं0 127/1997–98 में लिये गये बयान के आधार पर जो विपक्षी के पारिवारिक सदस्य एवं सहयोगी थे, के आधार पर एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। जिसे खारिज करने का अनुरोध करते है।

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी के भाई कमल बहरदार द्वारा वादग्रस्त भूमि भूधारी से आधी बटाई पर प्राप्त कर जोत–आवाद करते आ रहें थे और आधी फसल बाँट कर भूधारी को देते थे। अपीलार्थीगणों द्वारा जब भूमि से बेदखल करने की धमकी दी गई तो कमल बहरदार द्वारा बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 48ई0 बी0टी0 एक्ट के तहत वाद सं0 120/1997–98 विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में दाखिल किया गया और वाद के दौरान ही कमल बहरदार की मृत्यु हो जाने पर विपक्षीगण उनके स्थान पर प्रतिस्थापन (पक्षकार) बने।

इनका यह भी कहना है कि विपक्षीगण द्वारा दाखिल निम्न न्यायालय के बटाईदारी वाद सं0 120/1997–98 में अपीलार्थी को सूचना दी गई और अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर भी दाखिल किया गया। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा नियमानुसार समझौता बोर्ड का गठन भी किया गया। समझौता बोर्ड का 6 माह में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर बोर्ड से वापस लेते हुए विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा गवाही पर निर्धारित किया गया और विपक्षी की ओर से 5 गवाहों का बयान कराया गया। किन्तु अपीलार्थी द्वारा एक भी गवाहों का बयान नहीं कराया गया और लगातार अनुपस्थित रहें। विपक्षीगणों के गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा न्यायसंगत आदेश दिनांक 15.6.2005 को पारित करते हुए विपक्षीगणों को वादग्रस्त भूमि का बटाईदार

घोषित किया गया। विपक्षीगण बटाईदार घोषित होने के पश्चात् विज्ञ अंचलाधिकारी, नरपतगंज के समक्ष दफा 48डी0 बी0टी0 एक्ट के तहत वादग्रस्त भूमि का कायमी हक प्राप्त करने हेतु वाद सं0 09/2006–07 दाखिल किया गया। अंचलाधिकारी, नरपतगंज द्वारा भी वाद सं0 09/2006–07 दफा 48डी0 बी0टी0 एक्ट में भी भूधारी को सूचना दी गई, किन्तु भूधारी वहाँ भी शामिल नहीं हुए और विज्ञ अंचलाधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.6.2007 द्वारा विपक्षी को कायमी हक प्रदान कर दी गई और अपने आदेश में लिखा है कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदक (विपक्षी) दखलकार है और भूधारी 10.00 एकड़ से अधिक भूमि धारण करते है। तंत्पश्चात विपक्षीगण को अद्यतन 2016–17 तक का लगान रसीद निर्गत है।

इनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी द्वारा अंचलाधिकारी, नरपतगंज के मोकदमा सं0 09/2006–07 द्वारा 48डी0 बी0टी0 एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 18.6.2007 के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के न्यायालय में अपील वाद सं0 09/2008–09 धारा 48डी0 बी0टी0 एक्ट के तहत दाखिल किया गया जो दिनांक 24.07.2014 को खारिज हो चुका है।

अतः अपीलार्थी का दाखिल वर्त्तमान अपील वाद कालबाधित, भ्रामक एवं निर्वाहन योग्य नहीं है। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश जो विधि सम्मत है, को बहाल रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन तथा संलग्न साक्ष्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा दाखिल बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 48ई0 बी0टी0 एक्ट वाद सं0 120/1997–98 के पारित आदेश दिनांक 15.6.2005 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील वाद दिनांक 12.7.2007 जो लगभग दो वर्ष विलम्ब से दाखिल किया गया है। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज का पारित आदेश 48ई0 बी0टी0 एक्ट के प्रावधानों के तहत पारित है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा वाद के निपटारे हेतु उसे समझौता बोर्ड में अंचल अधिकारी, नरपतगंज को भेजा गया। छः महीने से अधिक की अवधि व्यतीत होने के बाद भी समझौता बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वाद की सुनवाई न्यायालय में की गई। प्रतिवादी (अपीलार्थी) लगातार अनुपस्थित रहें। फलतः आवेदक के दावे के संबंध में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा 5 गवाहों की गवाही ली गई तथा उनका बयान दर्ज किया। गवाहों के बयान के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज ने पाया कि बैद्यनाथ बहरदार व सुरज बरहदार आवेदक कमल बहरदार के भ्राताद्वय है। कमल बहरदार के मृत्यु उपरांत बैद्यनाथ बहरदार व सुरज बहरदार को आवेदक के रूप में मान्यता दी गई और पाया गया कि वे प्रतिवादी अपीलार्थी ताराचन्द साह वगैरह की भूमि पर बटाईदारी करते है तथा फसल बाँटकर भूस्वामी को देते है।

भू–स्वामी जमीन किसी अन्य व्यक्ति के हाथ बिक्री करना चाहते थे और बेदखली की आशंका से कमल बहरदार द्वारा वाद 48E में दायर किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने पाया कि बैद्यनाथ बहरदार व सुरज बहरदार लगभग 15 वर्षों से उक्त भूमि बटाईदारी करता है। अतः बिहार कास्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 48E के तहत आवेदक बैद्यनाथ बहरदार व सुरज बहरदार को बटाईदार घोषित किया। तत्पश्चात् विपक्षी ने अंचल अधिकारी, नरपतगंज के न्यायालय में वाद सं0 9/2006–07 धारा 48D BT Act के तहत लाया। विपक्षी को वादग्रस्त भूमि का 48डी0 बी0टी0 एक्ट के तहत दिनांक 18.6.2007 को कायमी हक प्राप्त हो गया है। अंचल अधिकारी, नरपतगंज के समक्ष दाखिल 48डी0 बी0टी0 एक्ट के तहत वाद सं0 9/2006–07 में अंचलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि वादग्रस्त भूमि पर आवेदक (विपक्षी) दखलकार है तथा भूधारी के पास 10.00 एकड़ से अधिक भूमि है। साथ ही भूधारी विधवा या विकलांग नहीं है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि का कायमी हक दिनांक 18.6.2007 को प्रदान कर दी गई है, जिसका लगान रसीद विपक्षी को अद्यतन प्राप्त हो रहा है। जिसके विरूद्ध भी अपीलार्थी द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के न्यायालय में 48डी0 बी0टी0 एक्ट अपील वाद सं0 9/2008–09 दाखिल किया, जो दिनांक 24.7.2014 को खारिज हो चुका है।

अतएव विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश को विधि सम्मत एवं न्यायोचित पाते हुए उसे बहाल रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 109/रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 29/07/2017

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को बटाईदारी वाद सं0 120/97–98 (कमल बहरदार बनाम ताराचंद साह ई0) मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचलाधिकारी, नरपतगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.7.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

H/C. Amie